न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा (दौसा)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 60 / 2022

1. बच्चू सिंह पुत्र सूरजमल जाति गुर्जर निवासी भापुर तहसील महवा

प्रार्थी

बनाम

1. सचिव / सरपंच ग्राम पंचायत शहदपुर तहसील महवा
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, महवा
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार महवा (दौसा)
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्रा0 विद्यालय भापुर तहसील महवा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री हरिशंकर सिंह वकील प्रार्थी

दिनांक :– 19 / 10 / 2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 11 / 0.27, 15 / 0.74, 18 / 0.26 ,195 / 0.20, 196 / 0.22, 197 / 0.08, 201 / 0.48, 202 / 0.82, 204 / 0.54, 205 / 0.43, 206 / 0.78, 207 / 0.78, 22 / 0.49, 24 / 0.90, 27 / 0.64, 347 / 0.25, 348 / 0.52, 349 / 0.48, 350 / 0.02, 358 / 0.03 किता 24 कुल रकबा 10.51 हैक्टेयर वांके ग्राम भापुर तहसील महवा में स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी का 1 / 4 हिस्सा है। आपसी मनबंट में खसरा संख्या 348 / 0.52 प्रार्थी के हिस्से में है। जिसमें प्रार्थी द्वारा फसल बो रखी है। इसी खसरे के पास राजकीय विद्यालय स्थित है और उक्त आराजी की डोल के सहारे बच्चे एवं स्टाफ विद्यालय में आते–जाते है। दिनांक 15.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 1,2,4 एवं पटवारी मौके पर आकर खसरा संख्या 348 की नाप करने लगे तो उन्होने बताया कि विद्यालय के लिए रोड बनाने के लिए सरकार का प्रस्ताव आया है। अगर इस प्रकार रोड बनाया जाता है तो मेरी आराजी के 2 भाग हो जाएंगे। अप्रार्थी संख्या 1,2,4 मेरी आराजी के बीच में से होकर रोड बनाने के लिए आमदा है और ऐलानियां धमकियां दी है कि तुमने रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे विरुद्ध राजकार्य में

उपखण्ड अधिकारी

बाधा का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1,2 एवं जिला कलक्टर महोदय दौसा को विधिक नोटिस भी दिनांक 08.04.2022 को दिया फिर भी अप्रार्थीगण रोड बनाने के लिए आमदा है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त गैरकानूनी मनसूबों में कामयाव हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से होना संभव नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ है। अतः अप्रार्थीगण को आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इनके विरुद्ध दिनांक 14.10.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–75 विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चला आ रहा है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थी की आराजी में से रास्ता निकालने का कथन किया है परंतु इस संबंध में कोई भी दस्तावेज साक्ष्य अथवा मौका रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। जिससे यह प्रतीत होता हो कि अप्रार्थीगण ने कोई रास्ते का निर्माण किया हो। पत्रावली में संलग्न विधिक नोटिस का भी अवलोकन किया गया जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्टता से वर्णन किया हुआ है कि ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य एवं वर्तमान में कार्य किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि व आम रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने पर ही कार्य किया जाता हैं। खातेदारी भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। प्रार्थी अपने कथनों को सिद्ध करने में प्रथम दृष्टया असफल रहा है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–75 विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व

रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चला आ रहा है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थी की आराजी में से रास्ता निकालने का कथन किया है परंतु इस संबंध में कोई भी दस्तावेज साक्ष्य अथवा मौका रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। जिससे यह प्रतीत होता हो कि अप्रार्थीगण ने कोई रास्ते का निर्माण किया हो। अगर अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो यह अनावश्यक ही होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19/10/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट महवा (दौसा)

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा